न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 21/2016 प्रार्थना पत्र

श्री कालू पिता भागुता मीणा निवासी अखेरामजी का खेड़ा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा (राज0) ––प्रार्थी	**उनवान बनाम**	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाड़ा ––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 02(क) एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थित :–श्री शिवसिंह चारण अधि0 प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक :– 16.03.2017

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी तहसीलदार जहाजपुर द्वारा बमामला नामान्तरणकरण संख्या 1533 वाके ग्राम खजूरी निर्णय दिनांक 09/08/2010 के खिलाफ दिनांक 09.06.2011 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खजूरी तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नम्बर 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547 एवं 1456/541, 1457/544 कुल कीता 089 कुल रकबा 07–16 बीघा भूमि स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में भागुता पिता धुला व अन्य के नाम पर दर्ज है। प्रार्थी की माता भागुती का विवाह प्रार्थी के बडे पिता छोगा पिता धुला मीणा के साथ हुआ, छोगा के संसर्ग से एक पुत्र भूरा हुआ इसके पश्चात छोगा का देहान्त हो गया। छोगा का देहान्त होने के बाद भागुति ने छोगा के भाई भागुता पिता धुला मीणा के साथ विवाह कर बतौर पत्नि के रहने लग गई जिससे भागुता के संसर्ग से एक पुत्र कालू का जन्म हुआ जो कि अपीलार्थी/प्रार्थी है। प्रार्थी भागुता का एकमात्र पुत्र होकर वारिस एवं उत्तराधिकारी है। भागुता का दिनांक 24.06.2005 को निधन हो गया भागुता के देहान्त के बाद विरासत से अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण खोला जाना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.08.2010 को अपीलार्थी के नाम पर

विरासत से नामान्तरकरण नहीं खोलकर खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/प्रार्थी ने एक अपील आप न्यायालय के समक्ष पेश की जिस पर न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 29.07.2011 को अपीलार्थी के पक्ष में अपील को स्वीकार फरमाते हुए आदेश पारित किया कि " अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार जहाजपुर बमामले नामान्तरकरण संख्या 1533 वाके ग्राम खजूरी निर्णय दिनांक 09.08.2010 के क्रम में स्वीकार की जाकर तहसीलदार जहाजपुर द्वारा पारित उक्त आदेश निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार जहाजपुर को रिमाण्ड किया कि प्रकरण में मृतक भागुता के अपीलार्थी के साथ साथ विधिक वारिसान के बारे में जांच कर नामान्तरकरण कार्यवाही करते हुए प्रकरण में नये सिरे का निर्णय पारित किया जावे।" इसके बाद तहसीलदार जहाजपुर के समक्ष उक्त आदेश की पालना में पत्रावली चली जिसके प्रकरण संख्या 33/2011 दर्ज हुए। जिसमे दिनांक 08.05. 2015 को प्रकरण का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निस्तारण कर निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय मनमकसूद तथ्यों पर आधारित होने से एवं गवाहान के बयानात उचित ढंग से लिये बिना एवं पारिवारिक सजरे का सही तरीके से मूल्यांकन किये बिना ही पारित किया गया था जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/प्रार्थी ने पुनः एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत आप न्यायालय के समक्ष पेश की जिसके प्रकरण संख्या 17/2015 राजस्व अपील बअनवान कालू बनाम राजस्थान राज्य कायम हुए जिसका दिनांक 05.11.2015 को निर्णय पारित फरमाया जाकर अपील को स्वीकार फरमाया जाकर अपील का स्वीकार किया जाकर दिनांक 08.05.2015 को तहसीलदार जहाजपुर द्वारा पारित उक्त आदेश निरस्त किया गया एवं प्रकरण तहसीलदार जहाजपुर को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया गया कि " अपीलार्थी कालू वास्तव में भागुता का पुत्र है अथवा छोगा का, प्रकरण में विधिक वारिसान के बारे में ग्रम पंचायत से व अन्य तथ्यों से दस्तावेजी साक्ष्य, गवाहों से समुचित रूप से जांच कर बाद जांच प्रकरण में नियमानुसार नामान्तरकरण कार्यवाही बाबत अजसिरे नवनिर्णय पारित किया जावे"। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की विपक्षी/प्रत्यर्थी को भलीभांति जानकारी होने के बावजूद भी विपक्षी ने न्यायालय श्रीमान द्वारा पारित आदेश की अवहेलना करते हुए विधि विरूद्ध तरीके से न्यायालय के आदेश की अवमानना कारित कर रहा है तथा प्रकरण में न तो सही तौर पर सजरे को रिमाण्ड पर लिया जा रहा है और न ही गवाहान के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
श्रीमाधोपुर (राज.)

बयानात लेखबद्ध किये जा रहे है। माननीय न्यायालय श्रीमान के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.11.2015 की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर को भिजवाई गई परन्तु 08 माह का समय व्यतीत होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर द्वारा कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं करते हुए प्रकरण को मात्र डिले(पेण्डिग) कर रखा है। अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा कई मर्तबा हस्तगत प्रकरण में आगामी कार्यवाही एवं जांच में सहयोग हेतु तहसीलदार कार्यालय जहाजपुर में उपस्थित होकर तहसीलदार से निवेदन किया एवं आप न्यायालय के निर्णय की प्रति दिखाई परन्तु तहसीलदार जहाजपुर द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा कि मैंने इस पर एक बार निर्णय सुना दिया है, बार–बार मेरे पास यही काम नहीं है इसलिए अब मैं न तो कार्यवाही/जांच करूंगा और न ही कोई पत्रावली कायम करूंगा और विपक्षी द्वारा आप न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्पष्ट तौर पर मानने से इन्कार कर दिया। इस प्रकार आप न्यायालय द्वारा पारित आदेश की खुले रूप से अवहेलना की जा रही है इस कारण विपक्षी को उसके द्वारा कारित कृत्य के लिए सिविल कारावास से दण्डित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी/अपीलार्थी आज से करीब 05–07 दिन पूर्व अधीनस्थ न्यायालय तहसील कार्यालय जहाजपुर में उपस्थित होकर प्रकरण में कार्यवाही हेतु निवेदन किया तो कार्यवाही करने से साफ इन्कार कर दिया। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को न्यायालय श्रीमान द्वारा पारित आदेश की अवमानना के जुर्म में सिविल कारावास से दण्डित फरमाये जाने का आदेश पारित फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र की पुष्टि में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया।

प्रार्थना पत्र दिनांक 26.07.2016 को पेश हुआ जिसे दिनांक 01.08.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर से इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.11.2015 की पालना के सम्बन्ध में रिपोर्ट चाही गई जो दिनांक 31.01.2017 को प्राप्त हुई जिसे पत्रावली में शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय के प्रकरण संख्या 17/2015 अपील नामा0 कालू पिता भागुता मीणा बनाम तहसीलदार जहाजपुर में पारित निर्णय दिनांक 05.11.2015 की प्रमाणित फोटो प्रति पेश की अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये।

प्रार्थी के अधिवक्त की बहस सुनी गयी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जहाजपुर (राज.)

वकील प्रार्थी के द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 01 के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए आदेशानुसार वारिसान के नामान्तरकरण में प्रक्रिया नहीं अपना कर प्रकरण को पेंण्डिग किया जा रहा है। मेरे द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 05.11.2015 की प्रति प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी द्वारा न्यायालय आदेश को मानने से इन्कार किए जाने व आदेश की अवमानना के जुर्म में सिविल कारावास से दण्डित फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 17/2015 अपील नामान्तरकरण बअनवान श्री कालू पिता भागुता मीणा निवासी अखेरामजी का खेड़ा तहसील जहाजपुर बनाम राज0 राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर में पारित निर्णय दिनांक 05.11.2015 की प्रति प्रस्तुत की इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र की ताईद में कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। आदेश दिनांक 05.11.2015 के द्वारा तहसीलदार जहाजपुर के बमामले प्रकरण संख्या 33/2011 निर्णय दिनांक 08.05.2015 के क्रम में स्वीकार की जाकर तहसीलदार जहाजपुर के उक्त आदेश को निरस्त कर इन आदेशों के साथ तहसीलदार जहाजपुर को रिमाण्ड किया कि अपीलार्थी कालू वास्तव में भागुता का पुत्र है अथवा छोगा का, प्रकरण में विधिक वारिसान के बारे में ग्राम पंचायत से व अन्य तथ्यों से/दस्तावेजी साक्ष्य, गवाहों से समुचित रूप से जांच कर नियमानुसार प्रकरण में नामान्तरकरण कार्यवाही बाबत अजसिरे नवनिर्णय पारित किये जाने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार जहाजपुर को विरासत के नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु निर्णय पारित किए जाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की अवधि का उल्लेख इस न्यायालय के आदेश दिनांक 05.11.2015 में नहीं किया गया। प्रार्थी के द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 05.11.2015 की अवहेलना तहसीलदार जहाजपुर द्वारा की या नहीं इसके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य/ गवाह या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे यह नहीं माना जा सकता कि तहसीलदार जहाजपुर के द्वारा इस न्यायालय के आदेश को मानने से इन्कार किया जाकर अवमानना की गई हो। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 05.11.2015 की पालना के सम्बन्ध में तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार जहाजपुर के पत्रांक/भू0अ0/अपील/213 दिनांक 27.01.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

2017 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार श्रीमान का प्रकरण संख्या 17/2015 निर्णय दिनांक 05.11.2015 पुनः सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ जिसकी पालना में कार्यालय तहसीलदार जहाजपुर में 135(2) में प्रकरण संख्या 78/2015 दिनांक 30.11.2015 को दर्ज किया जाकर पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर सुनवाई की गयी। उक्त प्रकरण का दिनांक 01.07.2016 को निर्णय किया जाकर कार्यालय के पत्रांक/भू0अ0/2595 दिनांक 24.08.2016 द्वारा निर्णय की प्रति पालना हेतु पटवारी हल्का खजूरी को लिखा गया। अर्थात उक्त रिपोर्ट के अनुसार इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.11.2015 की पालना में 30.11.2015 को तहसीलदार जहाजपुर के न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया जाकर सुनवाई करते हुए दिनांक 01.07.2016 को आदेश पारित किया जा चुका है।इससे यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार जहाजपुर के द्वारा इस न्यायालय के आदेश की किसी भी तरह से अवहेलना नहीं की गई है। प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिनांक 26.07.2016 को प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि प्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर से आज से करीब 5–7 दिन पूर्व प्रकरण में कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया जो बेबुनियाद एवं असत्य है क्योंकि तहसीलदार जहाजपुर के द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए दिनांक 01.07.2016 को ही आदेश पारित कर दिया। प्रार्थी उक्त आदेश की जानकारी को छिपाने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो नियमों के अनुकूल नहीं होकर खारिज योग्य है। क्योंकि अवमानना की कार्यवाही हेतु आदेश की पालना नहीं करने हेतु किस दिनांक को, किस समय व किस स्थान पर मना किया गया अपने प्रार्थना पत्र में कहीं पर भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। प्रकरण तहसीलदार जहाजपुर को विरासत के सम्बन्ध में विधिक वारिसान की जांच कर निर्णय पारित किए जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया।उसमें किसी निर्धारित अवधि में निर्णय पारित किए जाने हेतु आदेश नहीं दिया गया है जिसके लिए वह बाध्य हो । यह एक न्यायिक प्रक्रिया है तथा तहसीलदार न्यायालय तहसीलदार का पीठासीन अधिकारी होकर पूरी तहसील का भूमिधारी होकर पंजीयन अधिकारी भी है जिससे प्रकरण के निस्तारण में समय लगना अवमानना की श्रेणी में नहीं आता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी के द्वारा किसी भी तरह से आदेश की अवमानना नहीं की गई है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहा है। अतएव–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

प्रार्थी अपने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 02(क) एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता को प्रार्थी सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/03/17

(एल0आर0गुगरवाल)
अति0जिला कलक्टर,
भीलवाडा